न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 154/2017
उनवानी प्रकरण :–

रामनिवास पुत्र उत्तम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गढी जखौदा तहसील बाडी जिला धौलपुर ———— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.02.2017 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 156/17 उनवानी राज0 सरकार बनाम रामनिवास अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री सत्यप्रकाश कौशिक अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–29.12.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 15.02.17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का मुरावली ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि ग्राम गढी जखौदा के आराजी खसरा नम्बर 618 कुल रकवा 14 वीघा 16 विस्वा कुल रकवा 43वीघा 12 विस्वा में से 05 बीघा भूमि पर सम्बत 2072 में फसल सरसो बोकर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से सुनवाई कर अपीलान्ट को अराजी खसरा नम्बर 618 व 619 कुल रकवा 43 वीघा 12 विस्वा में से 5 वीघा भूमि पर संवत 2072 में व संतव 2073 में फसल सरसो बोकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर आराजी से बेदखल किये जाने एंव भू– राजस्व का 50 गुना राशि 1125/–रूपये शास्ति एंव 30 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश जेर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस प्रचारित नही किया है और ना ही विधिवत् रूप से नोटिस की तामील अपीलान्ट पर कराई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया है और ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है जो अपीलार्थी पर किसी प्रकार से प्रभावी नही होता है। अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 618 रकवा 14 बीघा 16 विस्वा व 619 रकवा 28 वीघा 16 विस्वा कुल रकवा 43 वीघा 12 विस्वा भूमि बांके ग्राम गढी

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

जखौदा उपतहसील कंचनपुर पर काबिज काश्त नही है और ना ही किसी प्रकार से कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर राजनैतिक द्वेश भावना से प्रेरित होकर कार्यवाही की है जो अवैधानिक है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपड व्यक्ति है जिसको कानूनी प्रकिया की कोई जानकारी नही है। पार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधि0 प्रस्तुत है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2017 खारिज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश दिनांक 15.02.17 तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा नोटिस की प्रमाणित प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस प्रचारित नहीं किया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से नोटिस की तामील अपीलान्ट पर कराई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय है जो अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की है जो अवैधानिक है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है जिसको कानूनी प्रक्रिया की कोई जानकारी नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही रही। अपील प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व आवश्यक कार्य से उपतहसील कंचनपुर जाने पर निर्णय की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है फिर भी पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया है तथा वर्तमान मे कोई कब्जा नही है एंव भविष्य मे कोई कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.17 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वयं पर हुई है। नोटिस तामील पर हस्ताक्षर है। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर जारी

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

नोटिस की तामील विधिवत नहीं हुई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट जानबूझकर बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2017 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर जो कब्जा था उसे हटा लिया है अब किसी प्रकार का कब्जा नही है तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एंव निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((शुचि त्यागी))
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर